10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

भगवानदास तनय सुखसिंह यादव,

निबासी– ग्राम देवपुर , तह0 खरगापुर , जिला टीकमगढ़ म प्र0

................आवेदक

वनाम

1– रघुवीर तनय गुंठे उर्फ गोबिंद यादव ,

2– रघुनाथ तनय गुंठे उर्फ गोबिंद यादव ,

3– रामरतन तनय गुंठे उर्फ गोबिंद यादव ,

निबासी – ग्राम देवपुर, तह0 खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म प्र0

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 03/अपील/2015–16 एवं 16/अपील/2015–16 में पारित सुयंक्त आलोच्य आदेश दिनांक 22/09/2016 से परिवेदित होकर कर रहा हैं। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अपीलांट भगवानदास एवं रिस्पॉ0 गण के पिता गुंठे उर्फ गोबिंद यादव आपस में सगे भाई थे। इसके अलावा अन्य तीन भाई और थे। सभी भाईयों की शामिल शरीक संपत्ति ग्राम देवपुर एवं गुना में स्थित थी, जिसका कुल रकवा करीब 20 हैक्टेयर था, अपीलांट के नाम से काई भूमि नहीं थी, इस कारण आपसी बंटवारे में गंठु के नाम की भूमि खसरा नंबर 383 रकवा 6.50 एकड़ अर्थात 2. 569 हैक्टेयर अपीलांट को गुंठे द्वारा अपने ही जीवनकाल में दे दी थी। जिसके संबंध में एक शपथपत्र/सहमतिपत्र भी दिनांक 30/04/2010 को लेख किया गया था। जिसके आधार पर दोनों भाईयों की सहमति से उपरोक्त भूमि ग्राम देवपुर की नामांतरण पंजी कमांक 03 दिनांक 01/07/2011 पर तहसीलदार खरगापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/07/2011

राजेन्द्र पटेरिया (एड.)
भार इस क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि0- 142, मनोरमा कालोनी, सागर
मो.- 9425451002

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(3)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-3600-एक/2016 भगवानदास विरूद्ध रघुवीर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक भगवानदासकी ओर से कोई उपस्थित नहीं एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा एवं प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 03/अपील/2015-16 एवं प्रकरण क्रमांक 16/अपील/2015-16में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 22-09-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व	

22/10/18

अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"

4. अनुविभागीय अधिकारीके द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य